न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 66 / 2017

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री मनीकण्डन नायर पुत्र श्री बाला कृष्णनन नायर (जनरल मैनेजर एंड मालिक) मै. होटल पारस इन, सांघी पेट्रोल पम्प के पास, स्टेशन रोड, जोधपुर। निवासीः– 55 विद्या पार्क, एयर फोर्स रोड़, जोधपुर।
2. श्रीमती रश्मी चौहान पत्नी श्री सुरेश चौहान (भागीदार), मै. होटल पारस इन, सांघी पेट्रोल पम्प के पास, स्टेशन रोड़, जोधपुर। निवासी :– 38, पावटा बी रोड़, जोधपुर 342006।
3. श्री सुरेश चौहान पुत्र श्री परसराम चौहान (भागीदार), मै. होटल पारस इन, सांघी पेट्रोल पम्प के पास, स्टेशन रोड़, जोधपुर, निवासी :– 38, पावटा बी रोड, जोधपुर, 342006।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.02.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स होटल पारस इन, सांघी पेट्रोल पम्प के पास, स्टेशन रोड़, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान पनीर 2 किलो आम जनता को सब्जी बनाकर विक्रय हेतु रखा पाया था। उक्त पनीर 1 किलो वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 240/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा रिफाइन्ड पनीर 1 किलो को अच्छी तरह से हिला मिला कर एक रूप कर चार भागों में बराबर–बराबर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की शिशियों में डालकर उन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–527 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–527 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–527 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि पनीर 1 किलो के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–527 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 101/एक्ट/2017/102 दिनांक 20.02.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना ज़मा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–527 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर बताया की होटल में पड़ा हुआ पनीर उपयोग में नहीं लेते बाजार से क्रय करके लाते हैं। खरीदते समय सही मानक का ज्ञान नहीं था। जिस कारण यह कार्यवाही हुई है। अतः कार्यवाही को ड्रॉप फरमाया जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 102 दिनांक 20.02.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण यदि रिपोर्ट दिनांक 20.02. 2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 2000/-...... अक्षरे रूपये ...दो हजार मात्र... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ...14/11/17... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक / कोर्ट / 2017 / 2273-2276

दिनांक :– 14-11-17

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. श्री राजेश टींकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर (राज.)।
02. श्री मनीकण्डन नायर पुत्र श्री बाला कृष्णनन नायर (मैनेजर एंड मालिक) मै. होटल पारस इन, सांघी पेट्रोल पम्प के पास, स्टेशन रोड, जोधपुर। निवासीः– 55 विद्या पार्क, एयर फोर्स रोड़, जोधपुर।
03. श्रीमती रश्मी चौहान पत्नी श्री सुरेश चौहान (भागीदार), मै. होटल पारस इन, सांघी पेट्रोल पम्प के पास, स्टेशन रोड़, जोधपुर। निवासी :– 38, पावटा बी रोड़, जोधपुर 342006।
04. श्री सुरेश चौहान पुत्र श्री परसराम चौहान (भागीदार), मै. होटल पारस इन, सांघी पेट्रोल पम्प के पास, स्टेशन रोड़, जोधपुर, निवासी :– 38, पावटा बी रोड, जोधपुर, 342006।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर